

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. - 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / 2017 / 1515

दिनांक: 05-09-17

-:कार्यालय आदेश:-

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा निजी क्षेत्र में जिन संस्था/कॉलेज को मान्यता प्रदान की गई है, को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के नियमानुसार Recognition Fee for subsequent year per course (Non refundable) 25000/-RS निर्धारित मान्यता शुल्क सात दिवस रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के नाम से डी.डी. (डिमांड ड्राफ्ट) जमा करावे।

(पारस चन्द्र जैन)
आर.ए.एस.

रजिस्ट्रार

दिनांक: 05-09-17

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / 2017 / 1515

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप - 3) विभाग जयपुर।
3. अध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल मुख्यालय।
5. समस्त संस्था/कॉलेज को पालनार्थ।
6. लेखाशाखा राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र वेबसाईट पर आज ही अपलोड करे।
8. रक्षित पत्रावली।

(पारस चन्द्र जैन)
आर.ए.एस.

रजिस्ट्रार